Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER .....

Number of Case ..... Year .....

..... Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of c of the O
26	[illegible]	
5/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी द.3 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाता है। मुख्य पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 39 R.T. Act. का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से रूक हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(सुखराम पिलोड)
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)